



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-15102026-277184
CG-MH-E-15102026-277184

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 623]
No.623]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 14, 2026/आश्विन 22, 1948
NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 14, 2026/ASVINA 22, 1948

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 12 अक्तूबर, 2026

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन)
विनियम, 2026

सं. सेबी/एल.ए.डी-डी.ओ.पी/2026/329.— बोर्ड, प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) की धारा 31 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11, धारा 11क(2) तथा धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में, -

I. विनियम 62क में,

क. उप-विनियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

“(1) जिस सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी की नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ (असंपरिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों) को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2026 के प्रकाशित होने की तारीख को या उसके बाद सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाया जाए, वह सूचीबद्ध (लिस्टिड) एंटीटी इस प्रकार उन्हें सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाए जाने की तारीख के बाद उसके द्वारा जारी (इश्यू) की जाने वाली ऐसी सभी नॉन-कन्वर्टिबल डैट सिक्यूरिटीज़ को स्टॉक एक्सचेंज (एक्सचेंजों) में सूचीबद्ध (लिस्ट) करवाएगी।”

ख. उप-विनियम (2) हट जाएगा।

ग. उप-विनियम (3) हट जाएगा।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./392/2026-27]

टिप्पणी:

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2015-16/013) 2 सितम्बर, 2015 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे, और जो अंतिम बार 14 जुलाई, 2026 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2026 (अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2026/312) द्वारा संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 12th October, 2026

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (LISTING OBLIGATIONS AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (THIRD AMENDMENT) REGULATIONS, 2026

No. SEBI/LAD-DOP/2026/329.— In exercise of the powers conferred by section 11, section 11A(2) and section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992) read with section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 (42 of 1956), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2026.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, —

I. in regulation 62A,

- a. sub-regulation (1) shall be substituted with the following, namely, -

“(1) A listed entity, whose non-convertible debt securities are listed on or after the date of the publication of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2026, shall list all those non-convertible debt securities issued by it after the date of such listing, on the stock exchange(s).”

- b. sub-regulation (2) shall be omitted.
- c. sub-regulation (3) shall be omitted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./392/2026-27]

Note:

The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 2nd September 2015 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2015-16/013 and were last amended on 14th July 2026 by the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2026 vide notification no. SEBI/LAD-NRO/GN/2026/312.